

..... पंचायतस्तरीय बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति
लिमिटेड

की उप-विधियाँ

(झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (अधिनियम 6) यथा संशोधित अद्यतन के अन्तर्गत)

(1) नाम :- यह समिति, जो झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 यथा संशोधित अद्यतन के अधीन निबंधित है,पंचायतस्तरीय बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति लिमिटेड कहलायेगी और इसमें आगे 'समिति' के नाम से जानी जायेगी।

पता : समिति का निबंधित कार्यालय :-

.....
झारखण्ड में होगा।

निबंधित कार्यालय के पता में कोई परिवर्तन होने की दशा में ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, संबद्ध शीर्ष सहकारी संस्थाओं तथा वित्त पोषक बैंक/एजेन्सी/ संस्था को भेज दी जाएगी।

(2) परिभाषाएँ :- जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई विरुद्ध बात न हो, इस उप विधियों में -

- (i) "सरकार" से अभिप्रेत है :- झारखण्ड राज्य सरकार।
- (ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है :- झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (अंगीकृत), यथासंशोधित अद्यतन।
- (iii) "नियमावली" से अभिप्रेत है :- झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 यथासंशोधित अद्यतन।
- (iv) "उपविधि" से अभिप्रेत है :- तत्समय प्रवृत्त निबंधित उपविधि तथा उसमें उपविधि में निबंधित संशोधन भी शामिल है।
- (v) "निबंधक" से अभिप्रेत है :- इस अधिनियम के अधीन सहकारी समितियों के निबंधक के कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त तथा इसमें वे पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिसे निबंधक की सहायता करने और निबंधक के सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो।
- (vi) "आर० बी० आई०" से अभिप्रेत है :- आर०बी०आई अधिनियम, 1934 अन्तर्गत गठित भारतीय रिजर्व बैंक।
- (vii) "नाबार्ड" से अभिप्रेत है :- नाबार्ड अधिनियम, 1981 के द्वारा गठित राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
- (viii) "वित्त पोषक बैंक" से अभिप्रेत है :- जिससे समिति संबद्ध है अथवा जिसके द्वारा समिति को मूलतः वित्तपोषण होता है, जिससे सहकारी समिति को कर्ज दिया जा सके।

- (ix) "बहुदेशीय प्राथमिक समिति" से अभिप्रेत है:—वह प्राथमिक समिति, जिसका निबंधन अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवायें, जिसका संबंध कृषि कार्य, साख (Credit), व्यवसाय, उद्योग, उपभोक्ता सामग्री, जन सुविधा संबंधी कार्य से है, प्रदान करने के लिये किया गया हो तथा जिसके सदस्य व्यक्ति तथा स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्था (NGO), FPO, चैम्बर ऑफ फारमर्स आदि प्रकार की संस्था इसके नाम मात्र या सह-सदस्य हो सकेंगे।
- (x) "शाखा" से अभिप्रेत है :- समिति की शाखाएँ।
- (xi) "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है :- वह भौगोलिक क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत समिति की उप विधियों के अनुसार समिति सदस्य बनाने के लिए प्राधिकृत हो।
- (xii) "कृषि" से अभिप्रेत है :- कृषि और इससे सम्बद्ध कार्य-कलाप।
- (xiii) "किसान" से अभिप्रेत है :-वह व्यक्ति जो कृषि से संबंधित कार्य करता हो तथा अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं के उत्पादन एवं पोल्ट्री, पशुधन पालन, दुग्ध उत्पादन उसकी प्रोसेसिंग एवं बिक्री, मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन, वर्मीकल्चर, कृषि वाणिकी, इमारती लकड़ी तथा गैर इमारती लकड़ी, लाह एवं लघुवनोपज के उत्पादन, संग्रहण, उपयोग एवं बिक्री आदि के कार्य में शामिल हो।
- (xiv) "सदस्य" से अभिप्रेत है :- उप विधियों के अनुसार बनाये गये शेयर (हिस्सा) धारी सदस्य।
- (xv) "नाममात्र या सह-सदस्य" से अभिप्रेत है :- कोई व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्था (NGO), FPO, चैम्बर ऑफ फारमर्स आदि प्रकार की संस्था, जो समिति से व्यवसायिक संबंध स्थापित करने हेतु इच्छुक, वैसे व्यक्ति या संस्था मात्र सदस्यता शुल्क का भुगतान करेंगे। सदस्यता शुल्क अप्रतिदेय होगी।
- ऐसे सदस्य को किसी निर्वाचन या आमसभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही प्रबंध समिति का सदस्य के लिए योग्य नहीं होंगे। ऐसे सदस्य को शेयर (हिस्सा) निर्गत नहीं की जायेगी।
- (xvi) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है :- सहकारी समिति के प्रबंधन हेतु अधिनियम के अनुसार गठित शासी निकाय, जिसे समिति के कामकाज का निदेशन, नियंत्रण एवं प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया हो।
- (xvii) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति का सदस्य, जिसका निर्वाचन या सहयोजन अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार हुआ हो।
- (xviii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है :- समिति का अध्यक्ष।
- (xix) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है :-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति/आमसभा की अध्यक्षता करने वाला।

- (xx) "प्रबंधक" से अभिप्रेत है :-प्रबंध समिति के सामान्य निदेशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन समिति के दैनन्दिन कार्य-कलापों का निर्वहन करने हेतु समिति के प्रबंध समिति के द्वारा नियुक्त किया गया हो। प्रबंधक, प्रबंध समिति का पदेन सदस्य सचिव भी होगा।
- (xxi) "पेशेवर निदेशक" से अभिप्रेत है :- वह व्यक्ति, जो कृषि, सहकारी प्रबंधन, वित्त, लेखा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि या समिति के कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते समिति के व्यवसायिक कार्यकलाप एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा सलाह देने हेतु सक्षम हो और जिसे अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध समिति द्वारा सहयोजित किया गया हो। ऐसे सहयोजित निदेशक को समिति के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (xxii) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है :-ऐसा सदस्य, जो किसी अन्य समिति या संगठन में समिति का प्रतिनिधित्व करता हो।
- (xxiii) "सामान्य निकाय" से अभिप्रेत है :- उप विधियों के उपबंधों के अध्यक्षीन समिति की सर्वोच्च प्राधिकार, जिसके सदस्य समिति के शेयर (हिस्सा) धारक सदस्य होंगे।
- (xxiv) "सदस्य की देनदारी" से अभिप्रेत है :- प्रत्येक सदस्य की देनदारी की वह सीमा जो समिति के पूँजी के अंशदान के लिए धारित शेयरों (हिस्सा) तक सीमित हो।
- (xxv) "कस्टम हायरिंग केन्द्र" से अभिप्रेत है :- सरकार द्वारा जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड या पंचायत में स्थापित वैसे कृषियंत्र केन्द्र, जहाँ से किसान अपनी आवश्यकतानुसार किराये पर कृषियंत्र लेकर कृषि संबंधी कार्य कर सके।
- (xxvi) "कॉमन सर्विस सेन्टर (csc)" से अभिप्रेत है :- डिजीटल इंडिया के तहत गाँव, पंचायत या प्रखण्ड में नागरिक सेवाओं, जैसे - पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रेल टिकट रिजर्वेशन, प्लार्ट टिकट, पासपोर्ट बनाने की सुविधा, मनी ट्रांसफर, बीमा संबंधी सेवाओं, कृषि एवं स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की सुविधा हेतु स्थापित केन्द्र।
- (xxvii) "अधिसूचित पंचायत" से अभिप्रेत है :- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय बहुल जनसंख्या वाले पंचायत, जिसमें अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हो।
- (xxviii) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है :- किसी वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष।
- (xxix) "परिवार" से अभिप्रेत है :- पति-पत्नी और उनकी अविवाहित पुत्रियाँ तथा अवयस्क पुत्र।
- (xxx) "मुहर" से अभिप्रेत है :- समिति का साधारण मुहर।
- (xxxi) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है :- नियमावली की अनुसूची के अन्तर्गत विहित-प्रपत्र

(3) **कार्यक्षेत्र :-** समिति का कार्य क्षेत्र पंचायत के दायरे के अन्तर्गत निम्नलिखित गाँवों तक सीमित रहेगा :-

- | | | |
|-----|-----|------|
| i) | ii) | iii) |
| iv) | v) | vi) |

परन्तु यह कि व्यवसायिक कार्यों हेतु समिति के लिए भौगोलिक सीमा का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

(4) **उद्देश्य :-** सदस्यों में मितव्ययिता, स्वावलम्बन और एक दूसरे की मदद करने की क्षमता की भावना को प्रोत्साहन देते हुए आवश्यक योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु आधारभूत संरचना, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित सभी या कोई कार्य करना :-

- i) उन्नत ढंग से आनाज, बागवानी, औषधीय पौधे, फूलों, फल एवं सब्जियों की खेती करने हेतु सदस्यों को प्रोत्साहन देना, सदस्यों के लिए खेती उत्पादन योजना तैयार करना और उचित रूप से उन्हें कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना तथा इसके लिए आवश्यक सामग्रियों को जुटाना। सदस्यों के बीच सहकारी संयुक्त खेती को बढ़ावा देना।
- ii) **बैकवर्ड लिंकेज, जैसे:-** भूखण्ड, उन्नत बीज, खाद, उर्वरक, वर्मीकम्पोस्ट, भूमि संरक्षण, कृषि मशीनरी/उपकरण, कीटनाशक और अन्य इनपुट से संबंधित अन्य साधनों एवं तकनीकों, कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा **फारवर्ड लिंकेज, जैसे -** क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का संग्रहण, सफाई, श्रेणीकरण (वर्गीकरण), प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, गोदाम अथवा शीतगृह में भंडारण, क्रय - विक्रय, विपणन संबंधी कार्य करना। परिवहन हेतु ट्रक/Refrigerator Vans का प्रोत्साहन और विकास संबंधी कार्य करना।
- iii) सिंचाई की उपयुक्त सुविधाएँ - जलछाजन, जल संचयन, जलस्रोत निर्माण, नलकूप, तालाब, वाटर हारवेसटिंग, भूमि संरक्षण आदि की व्यवस्था, स्थापना एवं संचालन करना।
- iv) उन्नत बीज का उत्पादन बढ़ाने संबंधी आवश्यक कार्य करना, बीज भंडार स्थापित करना एवं उसे संचालित करना।
- v) गोदाम, शीतगृह, वेयर हाउस, पॉली हाउस एवं ग्रीन हाउस की स्थापना करना एवं संचालित करना।
- vi) पोल्ट्री एवं उसके उत्पाद, उन्नतशील नश्ल पशुधन पालन - गाय, भैंस, बैल, सांढ, बकरी, भेड़, सुअर, बत्तख, खरगोस आदि का पालन एवं उसके उत्पादों, दुग्ध एवं दुग्ध से बने उत्पादों, मधुमक्खी पालन एवं उसके उत्पादों, रेशम उत्पादन, आधुनिक तकनीक से मत्स्य पालन एवं उसके उत्पादों, रेशम उत्पादन, कृषि वाणिकी, इमारती लकड़ी तथा गैर इमारती लकड़ी, लाह एवं लघुवनोपज आदि के उत्पादन, संग्रहण, वर्गीकरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग,

- ब्रांडिंग, भंडारण एवं विपणन संबंधी कार्य करना। इस हेतु सदस्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- vii) खाद्य परिष्करण इकाईयों, Fruit Pulp एवम् Juice Plant, Solvent Extract Plant, Ethanol Plant आदि की स्थापना करना, मूल्य संवर्द्धन से संबंधित सभी कार्य के साथ ही साथ विपणन की व्यवस्था करना।
- viii) सदस्यों को सभी प्रकार के ग्रामोद्योग, कृटीर उद्योग एवं लघुउद्योग के उत्पादों की उचित मूल्य पर बिक्री करने का प्रबंध करना।
- ix) धान से चावल निकालने हेतु हॉलर, मिल, आटा चक्की, तेल घानी, मिनिरल वाटर प्लांट, विभिन्न प्रकार के मशालों को तैयार करने हेतु यंत्र लगाना एवं उत्पादों का पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन आदि की व्यवस्था करना।
- x) सदस्यों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा उपभोग ऋण प्रदान करना। ट्रैक्टर, वाहन आदि के लिए कोलेटरल ऋण प्रदान करना।
- xi) वित्त पोषक बैंक/नाबार्ड/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक और सरकार के वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।
- xii) किसी भी सरकारी एवं सहकारी संस्था के एजेंट एवं उप एजेंट के रूप में अथवा ऋण वितरण और उसकी वसूली का कार्य करना।
- xiii) समाजिक उत्थान एवम् विकास हेतु शैक्षणिक एवम् स्वास्थ्य सेवाएँ, यथा— विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, बी०एड०कॉलेज, लॉ कॉलेज की स्थापना करना एवं संचालित करना अथवा संचालित करवाना, डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी सेंटर अन्य स्वास्थ्य सेवा शिविर, परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस आदि का आयोजन एवम् सेवा उपलब्ध कराना।
- xiv) सेवा या व्यवसायिक कार्य जैसे – आधारभूत संरचना, सामुदायिक केन्द्र, खाद्यानो का प्रसंस्करण, जनवितरण प्रणाली की दुकान/उचित मूल्य की दुकान, LPG, पेट्रॉल, डीजल, सी० एन० जी०, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर, हरित उर्जा तथा टिकाउ वस्तुओं के व्यवसाय में शामिल होना, जिससे समिति के सदस्यों को सुविधाएँ प्राप्त हो सके तथा समिति की आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- xv) विभिन्न समाजिक कार्यक्रम के प्रचार प्रसार एवम् प्रदर्शन हेतु राज्य एवम् राज्य के बाहर विपणन केन्द्र स्थापित करना तथा प्रदर्शनी, सेमीनार एवम् मेला आयोजन करना अथवा भाग लेना।

- xvi) सरकार के कौशल विकास योजना एवम् कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण, डिजीटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया इत्यादि के माध्यम से समाज को आत्मनिर्भर बनाने सम्बन्धी हर सम्भव प्रयास कार्य करना।
- xvii) समाज मे युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, टंकण कला, एपलिक, सौन्दर्य एवम् प्रसाधन, कम्प्यूटर आधारित कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एवम् अन्य तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवम् स्वावलम्बी बनाने मे मदद करना।
- xviii) पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि विषय से सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ के माध्यम से समाज को जानकारी देना एवम् जागरूक करना।
- xix) उर्जा के संरक्षण हेतु बायोगैस प्लान्ट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों की विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करना, स्थापना, उपलब्धता एवम् बिक्री करना। इस हेतु सरकार की एजेंसियों के एजेंट के रूप में कार्य करना।
- xx) पर्यावरण की सुरक्षा एवम् संतुलन हेतु वृक्षारोपण एवम् अन्य कार्यक्रमों, जैसे प्लास्टिक मुक्त समाज की स्थापना सम्बन्धी कार्य करना। क्षेत्र मे स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण आदि सम्बन्धी कार्य करना।
- xxi) पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- xxii) महिलाओं एवम् बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मण्डल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।
- xxiii) प्राकृतिक आपदा एवम् अन्य आपातकालीन परिस्थितियों मे अनेकानेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर सम्भव सहयोग करना।
- xxiv) शीत गृह, वेयर हाउस, पॉली हाउस, एवम् ग्रीन हाउस की स्थापना एवम् संचालित करना।
- xxv) थोक की दर पर विभिन्न व्यवसाय हेतु आवश्यक कच्चा माल तथा औजारों को खरीदना और अपने सदस्यों हेतु नगदी या उधारी तौर पर उनका दाम निश्चित करना।
- xxvi) सदस्यों के सामाजिक सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- xxvii) कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपयोग हेतु सूचना/डेटा केन्द्र के स्रोत के रूप में कार्य करना।
- xxviii) कार्यक्षेत्र में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करना।
- xxix) समिति के कार्यक्षेत्र में ऑन लाईन/डिजीटल सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना।

- xxx) वित्तीय/बैंकिंग संस्थाओं के लिए एजेंट या बैंक मित्र/व्यवसायिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करना। कार्यक्षेत्र में सहकार आधारित कार्य-कलापों में युवाओं एवं महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित तथा प्रोत्साहित करना।
- xxxvi) क्षेत्र में उत्पादित सामग्रियों की अधिप्राप्ति तथा प्लेजिंग संबंधी कार्य करना।
- xxxvii) अन्य ऐसे कारबार करना, जिसे समिति साधारणतया अपने सदस्यों के आर्थिक हित साधन के लिए आवश्यक समझती हो। कार्यक्षेत्र के समक्ष विकास तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय बैंक द्वारा अनुमोदित कार्यों को करना।
- xxxviii) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों, अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार से पूँजी प्राप्त करना।
- xxxix) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्षेत्र अन्तर्गत विशिष्ट स्थानों पर शाखाएं, डीपों, बिक्री केन्द्र, शो रूम तथा कर्मशाला खोलना।
- xl) राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी बैंक की अनुमति से लॉकर सुविधा स्थापित करना या उसकी व्यवस्था करना।
- xli) कार्यक्षेत्र के सभी सदस्यों और गैर सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और व्यवसाय संबंधी सूचना एकत्र करना ताकि कृषि योजना और संबंधित व्यवसाय योजना या विकास के लिए आधारभूत संरचना सुदृढ़ हो सके।
- xlii) भूमि, भवन, गोदाम, प्रसंस्करण ईकाई और ऐसे अन्य आवश्यक आस्तियों को धारण करना।
- xliiii) आमसभा द्वारा समिति के सदस्यों के हित एवं लाभ के लिए पारित निर्णयों को लागू करना, जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल एवं प्रासंगिक हो।
- xliiii) सदस्यों के हितों को प्रभावित करने वाली समस्त समस्याओं को सहकारी रीति द्वारा निपटाना तथा लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रयत्न करना।
- xli) पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति और सामान्य सदस्यों के आराम, सुविधा और आर्थिक हित के लिए सभी आवश्यक और समायोचित काम करना।

(5) सहकारिता के सिद्धांत :-

- (i) समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होगी और वैसे सभी व्यक्तियों को बिना किसी सामाजिक, राजनीतिक, जातीय या धार्मिक भेद-भाव के उपलब्ध होगी, जो इसकी सेवा का उपयोग कर सकते हों और सदस्यता की जिम्मेदारी स्वीकार करने को इच्छुक हों।
- (ii) समिति लोकतांत्रिक संगठन होगी इसके कार्यकलाप का प्रबंधन इसके सदस्यों द्वारा निर्धारित की गई रीति से निर्वाचित या नियुक्त एवं उनके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्य समान मताधिकार (एक सदस्य एक मत) का उपयोग करेंगे और समिति पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों में उनकी समान भागीदारी होगी।

- (iii) समिति के संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ समिति के सदस्यों का होगा और उसका वितरण ऐसी रीति से, जिससे कि दूसरे सदस्यों की कीमत पर किसी एक सदस्य द्वारा लाभ उठाना परिवर्जित हो, किया जाएगा, जिसे –
- सहकारी समिति के कारोबार में विकास करने का उपबन्ध करके।
 - सामूहिक सेवाओं का उपबन्ध करके।
 - अंशधारियों को लाभांश वितरण के अतिरिक्त सदस्यों के बीच समिति के साथ उनके संब्यवहारों के अनुपात में वितरण करके प्राप्त किया जाएगा।
 - समिति सहकारिता के आर्थिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं तकनीकों में अपने सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा जन-सामान्य को शिक्षित करने का प्रबंध करेगी।
 - समिति अपने सदस्यों एवं अपने समुदायों के हितों की सर्वोत्तम सेवा करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य सहकारिताओं के साथ हरके व्यावहारिक रीति से सक्रिय रूप से सहयोग करेगी, जिससे कि विश्व भर में सहकारियों द्वारा कार्य की एकता संबंधी उनके लक्ष्य की उपलब्धि हो सके।
- (6) **सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता** :— निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य बनने के पात्र होंगे :—
- जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो।
 - जो सच्चरित्र हो,
 - जो समिति के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
 - जो समिति का कम से कम एक हिस्सा खरीदता हो।
 - जो समिति के कार्यक्षेत्र के अन्दर झारखण्ड सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 के अधीन निबन्धित समान सेवा देने वाली प्राथमिक सहकारी समिति का सदस्य न हों या ऐसी समिति की देयता का पूरा भुगतान कर उस समिति के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया हो,
- (7) **नाम मात्र या सह-सदस्य** :— कोई व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्था (NGO), FPO, चैम्बर ऑफ फारमर्स आदि जो, समिति के साथ व्यवसायिक संबंध स्थापित करने हेतु इच्छुक हो, नाम मात्र या सह-सदस्य सदस्यता शुल्क की राशि का भुगतान कर बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क अप्रतिदेय होगी। इस प्रकार के सदस्य शेयरधारी नहीं होंगे।
- (8) **कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने योग्य नहीं होगा, यदि** :—
- वह 18 (अठारह) वर्ष से कम उम्र का हो,
 - वह समिति का अथवा सम्बद्ध करने वाली समिति का वेतन भोगी कर्मचारी हो,
 - वह पागल हो,
 - वह समिति का शेयर (हिस्सा) धारक न हो,

- (v) उसने दिवालिया या शोधनाक्षम (इन्सोलवेन्ट) न्याय निर्णीत होने के लिए आवेदन किया हो या वह प्रमाणित दिवालिया है या अनुमुक्त शोधनाक्षम (इन्सोलवेन्ट) है।
- (vi) उसे राजनीतिक अपराध को छोड़कर कोई दूसरे अपराध के लिए सजा हुई हो अथवा ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो, जो नैतिक आचरण को अन्तर्ग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं कर दिया गया हो। यह अयोग्यता सजा की समाप्ति से 5 वर्ष के बाद लागू नहीं होगी।
- (9) **सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया :-**
- (i) सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, जिसे समिति की सेवा की आवश्यकता हो, सदस्यता की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हो और उप-विधियों में वर्णित योग्यता रखता हो तथा सदस्यता हेतु प्रपत्र-V में आवेदन दिया हो और कम से कम एक शेरर (हिस्सा) खरीदते हों, समिति के सदस्य होंगे। सदस्यता प्राप्ति हेतु शुल्क 10/- ₹0 मात्र देय होगा। सदस्यता शुल्क अप्रतिदेय होगा।
- (ii) प्रबंध समिति या समिति का प्रबंधक, यदि किसी आवेदक से आवेदन न ले, या उसकी प्राप्ति की रसीद न दे, तो आवेदक अपना आवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास जमा कर सकता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्ति की रसीद तत्काल देंगे और साथ ही साथ उस आवेदन को संबंधित समिति को भेज देंगे।
- समिति की प्रबंध समिति उस आवेदन पर विचार करेगी और प्रबंध समिति का निर्णय आवेदक को आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर संसूचित किया जायेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में उसके कारण भी दिये जायेंगे। जाय, तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तथा आवेदक को समिति की सदस्यता में ले लिया गया है।
- (iii) जिस व्यक्ति की सदस्यता के आवेदन पत्र को प्रबंध समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, उस निर्णय की संसूचना से 60 दिनों के अंदर निबंधक, सहयोग समितियाँ के समक्ष अपील कर सकेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- (iv) कोई व्यक्ति ऐसे किसी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष घोषणा करता है कि :-
- a) वह समिति का सदस्य बनने की सारी शर्तों को पूरा करता हो
 - b) उसके परिवार का कोई भी सदस्य समिति का सदस्य न हो और

c) उसने समिति के प्रबंध समिति के समक्ष सदस्य बनने के लिए आवेदन किया हो और उसे सदस्य नहीं बनाया गया हो, तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी यथास्थिति उस समिति को विचार हेतु अग्रसारित करेंगे एवं समिति 30 दिनों के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी को कारण सहित सदस्यता अस्वीकृत करने की सूचना देगी। यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी समिति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हो, तो वे समिति को सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत करने एवं आवेदक को उस समिति का सदस्य के रूप में नामजद करने हेतु आदेश दे सकेंगे।

(v) उप विधियों में यथाविहित सदस्यता शुल्क तथा शेयर (हिस्सा) की राशि का भुगतान कर देने पर आवेदक सदस्यता के सभी अधिकारों का हकदार हो जायेगा और सदस्य के सभी दायित्वों के अध्यक्षीन होगा।

(10) सदस्यों के रूप में बने रहने की शर्तें :-

- (i) समिति के कार्यक्षेत्र में निवास रखना होगा,
- (ii) सदस्यता की शर्तें बनाये रखना होगा,
- (iii) अधिनियम एवं समिति की उप-विधियाँ में उल्लेखित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा,
- (iv) कोई गलत आचरण एवं कार्य नहीं करना होगा जिससे समिति की बदनामी हो और आर्थिक अवस्था पर प्रभाव पड़े,
- (v) सदस्यता की जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा,
- (vi) प्रबंध समिति द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना पड़ेगा।

(11) सदस्यता से हटना :-

समिति का कोई भी सदस्य, जिसके जिम्मे समिति का कोई कर्ज या पावना न हो और जो एक वर्ष तक सदस्य रह चुका हो, वह प्रबंध समिति को तीन महीने की सूचना देकर सदस्यता से हट सकता है, परन्तु इस तरह हटने पर भी दो वर्ष तक समिति के शर्तों तथा जिम्मेदारियों का बंधन उस पर रहेगा।

यदि उस व्यक्ति के यहाँ पावना या कर्ज न हो, तो त्यागपत्र देने की तिथि से तीन माह के बाद उसका त्यागपत्र स्वतः स्वीकृत समझा जायेगा, चाहे इसकी स्वीकृति प्रबंध समिति द्वारा नहीं भी दी गयी हो।

(12) सदस्य का निष्कासन :-

- i) प्रबंध समिति खुली जांच-पड़ताल के बाद किसी सदस्य को नीचे लिखे कारणों से निलंबित या हटा सकती है :-
 - a) समिति की उप विधियों या नियमों का विशेष रूप से उल्लंघन करने पर।
 - b) नोटिस मिलने के उपरान्त भी समिति का ऋण चुकता न करने पर।

- c) किसी ऐसे व्यवहार पर, जिससे समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती हो या जिससे समिति की बदनामी हो।
- ii) प्रबंध समिति द्वारा हटाये गये किसी सदस्य को हटाये जाने के आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के अंदर आमसभा में अपील कर सकेगा। आमसभा के निर्णय के विरुद्ध सहायक निबंधक, सहयोग समितिया के समक्ष एक माह के अंदर पुनर्विचार के लिए आवेदन दे सकेगा।
- (13) **उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना :-**
समिति का कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात समिति से पावना दिया जा सके।
- (14) **शेयर (हिस्सा) का हस्तांतरण या वापसी :-** कोई भी सदस्य तबतक अपना शेयर (हिस्सा) हस्तांतरित नहीं कर सकता है जब तक कि -
- (i) वह कम से कम ऐसा शेयर (हिस्सा) का एक वर्ष तक मालिक न रहा हो तथा
- (ii) जिस व्यक्ति के नाम से शेयर (हिस्सा) हस्तान्तरण करना हो, वह प्रबंध समिति के द्वारा स्वीकृत हो।
- (15) **उत्तरदायित्व :-** समिति के कर्जों के लिए सदस्य की जिम्मेदारी उसके अपने शेयर (हिस्सा) मूल्य के दस गुणे तक सीमित रहेगी और वह झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 यथा अद्यतन संशोधित के उपबंध के अनुसार लागू होगी।
- (16) **सदस्यता की समाप्ति :-**
- (i) यदि समिति के किसी सदस्य का भविष्य में इस उपविधि के कंडिका- 8 में विनिर्दिष्ट अयोग्यता आ जाय, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- (ii) उपविधि की कंडिका - 11 के अनुसार प्रबंध समिति को तीन महीने की सूचना देकर सदस्यता से हट सकता है।
- (iii) उपविधि की कंडिका - 12 के अनुसार हटाये जाने पर
- (iv) अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार अयोग्य हो जाने पर
- (17) **निधि - समिति निम्नलिखित स्रोतों से निधियाँ प्राप्त कर सकेंगी :-**
- (i) शेयर (हिस्सा) पूँजी।
- (ii) प्रवेश शुल्क
- (iii) सदस्यों से डिपोजिट (ऋण) लेकर,
- (iv) सदस्यों से नियमित बचत बसूल करके
- (v) सहकारी बैंक, सरकार तथा किसी व्यवसायिक या अनुसूचित बैंक या गैर - सदस्यों से ऋण लेकर,

- (vi) वित्त पोषक बैंक से कर्ज लेकर और केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंका के आदेश और निर्देशन के अन्तर्गत जमा लेकर।
- (vii) दान
- (viii) अनुदान एवं सब्सिडी
- (ix) जमा (समिति सिर्फ अपने सदस्यों से ही जमा राशि स्वीकार करेगी)
- (x) उधार
- (xi) सरकार और दूसरे स्रोतों:—जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय सहयोग विकास निगम (N.C.D.C.) आदि से प्राप्त आर्थिक सहायता अनुदान या दान से।
- (xii) सुरक्षित कोष एवं अन्य कोष
- (xiii) ऋण एवं अग्रिम तथा
- (xiv) सदस्यों से अपनी इच्छा से नगद समान या श्रम के रूप में मिले हुए विशेष अनुदान से।

परन्तु यह कि समिति के विघटन के समय ऋण एवं अन्य को देय राशियों को चुकाने के बाद ही सदस्यों को देय राशियों का निपटारा किया जाएगा।

- (18) **कर्ज लेने की सीमा** :— कर्ज एवं जमा पर समिति का पूर्ण बाह्य देय उसकी वसूल की हुई हिस्सा पूँजी एवं सुरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) के 15 गुणा से अधिक नहीं होगी, किन्तु यह सीमा भारतीय रिजर्व बैंक के मानक के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के निदेश से बढ़ाई जा सकती है।
- (19) **कोष की अभिरक्षा** :— अधिनियम, नियमावली एवं उपविधि के प्रावधान के अन्तर्गत प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित नियम के अधीन प्रबंधक के पास समिति का कोष रहेगा।
- (20) **कोष को काम में लगाना** :— कारोबार में नहीं लगाये गये समिति के कोष को निम्नलिखित रूप में कारोबार में लगाया जा सकता है या जमा किया जा सकता है —
 - (i) पोस्टल सेविंग्स बैंक, वित्त पोषक बैंक, या केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक में,
 - (ii) इंडियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 20 में विशेष रूप से वर्णित किसी भी जमानत में
 - (iii) अधिनियम, नियमावली के द्वारा स्थापित उपबंधों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश से किसी अन्य रूप में,
- (21) **प्राधिकृत/अधिकृत शेयर (हिस्सा) पूँजी** :—
 - (i) समिति की अधिकृत हिस्सा पूँजी 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रू० की होगी, जो कुल 25,000.00 (पच्चीस हजार) शेयरों (हिस्सों) में विभक्त होगी। प्रत्येक शेयर (हिस्से) का मूल्य 100 (सौ) रू० होगा।
 - (ii) कोई भी सदस्य कुल प्रदत्त (Paid up) शेयर (हिस्सा) के 1/5 से अधिक अथवा दस हजार रू०, दोनों में से जो कम हो, के हिस्सों को नहीं खरीद सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त (Paid up) हिस्सापूँजी के 25% से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकेगी।

(22) **शेयर (हिस्सा) का प्रमाण पत्र** :- प्रत्येक सदस्य को समिति का मुहर लगा हुआ एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें उसके द्वारा खरीदे हुए शेयर (हिस्सा) का विशेष रूप से उल्लेख रहेगा। यदि शेयर प्रमाण पत्र खो जाय या फट जाय तो पचास रुपये शुल्क देने पर पुनः शेयर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(23) **आमसभा** :- समिति की आमसभा निम्नलिखित प्रकार की होगी :-

i) **प्रारंभिक आमसभा** :- समिति के निबंधन की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के अंदर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अंदर, जिसकी लिखित अनुमति निबंधक, सहयोग समितियों के द्वारा दी गयी हो, समिति अपनी प्रथम प्रारंभिक आमसभा आयोजित करेगी, जिसमें केवल ऐसे व्यक्ति भाग ले सकेंगे, जिन्होंने समिति के निबंधन हेतु आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किया हो।

प्रारंभिक आमसभा आहूत करने एवं उसकी कार्यावली झारखण्ड सहकारी समितियों नियमावली 1959 यथासंशोधित, 1989 में वर्णित प्रावधान के अनुसार होगी।

ii) **साधारण (वार्षिक) आमसभा** :- उप विधियों के उपबंधों के अधीन समिति की सर्वोच्च प्राधिकार आमसभा में निहित होगा, जिसके सदस्य समिति के शेयर (हिस्सा) धारक सदस्य होंगे।

1) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबंध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छः माह के भीतर वार्षिक आमसभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उससे पदधारियों के निर्वाचन को छोड़कर अधोलिखित सभी अथवा किसी एक विषयवस्तु पर विचार किया जायेगा :-

a) निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा वार्षिक विवरणियों पर विचार।

b) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।

c) सांविधिक अंकेषकों एवं आंतरिक अंकेषकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना।

d) अंकेक्षण का रिपोर्ट और निबंधक को दाखिल किये जाने के लिये अंकेक्षित विवरण पर विचार।

e) अंकेक्षण/विशेष अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार।

f) धारा-39 के अधीन जाँच प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी यदि कोई हो।

g) शुद्ध अधिशेष का निपटान।

h) संचालन घाटा, यदि कोई हो का पुनर्विलोकन।

i) दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन।

j) वार्षिक बजट का अनुमोदन।

k) विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि एवं अन्य निधियों का सृजन।

l) आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन।

m) अन्य सहकारी समितियों में सहकारी समिति की सदस्यता के संबंध में प्रतिवेदन।

n) सदस्यता के लिये जिस व्यक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है अथवा जिसकी सदस्यता बोर्ड द्वारा समाप्त कर दी गई हो, उसकी अपील।

- o) किसी निदेशक, अंकेक्षक या आंतरिक अंकेक्षक को उस हैसियत से अपने कर्तव्य के लिये अथवा संबंधित बैठकों में उसकी उपस्थिति के लिये देय पारिश्रमिक।
 - p) समिति/परि समिति में सहकारी समिति की सदस्यता।
 - q) अन्य संगठनों के साथ सहयोग।
 - r) उप विधियों का संशोधन।
 - s) निदेशकों एवं पदधारियों के लिये आचार संहिता बनाना।
 - t) सदस्यों को सम्मिलित किये जाने एवं सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी टिप्पणी।
 - u) समिति का विघटन
 - v) उन सभी किस्तों पर जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, दंडनीय सूद का दर लगाने की अनुमति दे सकती है।
 - w) ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हों।
- iii) **असाधारण आमसभा** :- प्रबंध समिति द्वारा किसी भी समय अथवा समिति के एक तिहाई सदस्यों की अधियाचना पर असाधारण आमसभा बुलाई जा सकेगी। अधियाचना पर बुलाई जाने वाली असाधारण आमसभा के संबंध में अधियाचना प्राप्ति की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर अध्यक्ष द्वारा असाधारण आमसभा बुलाई जा सकेगी।
- परन्तु यह कि सभा के कामकाजों में प्रबंध समिति के सदस्यों, उसके पदधारियों एवं समिति के प्रतिनिधियों के निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं होंगे।
- iv) **विशेष सभा** :- संचालन पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित सहायक निबंधक, सहयोग समितियों के द्वारा नियमावली के नियम - 21 के आलोक में विशेष आमसभा आयोजित की जायेगी, जिसमें सिर्फ निर्वाचन संबंधी कार्य होंगे। समिति की उप विधियों में उपबंधित न्यूनतम हिस्सापूँजी धारण करने वाले सदस्य को मताधिकार प्राप्त होगा तथा प्रबंध समिति के पदधारी होने के पात्र होंगे।

(24) **सामान्य बैठक की प्रक्रिया** :-

- (i) समिति की वार्षिक आम सभा उप विधियों के अनुसार अधिसूचित समय, तिथि तथा स्थान पर होगी और यदि गणपूर्ति (कोरम) हो जायेगी तो सभा का अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों के द्वारा उन्ही में से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभा की अध्यक्षता करेंगे।
- यदि समिति अवक्रमित हो, तो वहाँ प्रशासक आमसभा की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति सभा का अध्यक्षता करेंगे।
- (ii) आम सभा का अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति सभा की कार्यवाही का संचालन इस प्रकार करेंगे कि कारोबार का निस्तार शीघ्रातिशीघ्र तथा संतोषजनक ढंग से हो और वे सभा में व्यवस्था संबंधी सभी बिन्दुओं पर निर्णय लेंगे।

- (iii) आम सभा की सूचना निर्गत होने की तिथि को समिति की जो कुल सदस्य संख्या का 1/5 आम सभा के लिए गणपूर्ति (कोरम) होगा।
 - (iv) यदि आम सभा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा के भीतर गणपूर्ति न हो सके तो सभा, ऐसी तिथि तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी जो सात दिन से पूर्व और इक्कीस दिन के बाद नहीं होगी।
 - (v) स्थगित आम सभा के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (vi) आम सभा में सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा और मतों की समता की स्थिति में सभा के अध्यक्ष एक निर्णायक मत दे सकेंगे।
 - (vii) परोक्षी मत स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - (viii) आम सभा में हाथ उठाकर मतदान किया जायेगा और केवल आपवादिक मामले में, यदि निबंधक स्वेच्छा अथवा समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निदेश दे तो, मतपत्रों के माध्यम से मतदान किया जायेगा।
 - (ix) आम सभा की कार्यवाहियों का विवरण एक कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा तथा कार्यवाही पुस्तिका में उपस्थित सदस्यों तथा दूसरे उपस्थित व्यक्तियों के नाम, हस्ताक्षर सहित दर्ज होंगे। सभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति उस कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेंगे।
 - (x) आम सभा में अपनायी गई प्रक्रिया संबंधी किसी आपत्ति की अपील निबंधक, सहयोग समितियों के पास की जायेगी और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।
- (25) **आमसभा की सूचना :-** किसी भी आमसभा के लिये 15 दिनों पूर्व सूचना दी जायेगी। सूचना पत्र में सभा की तिथि, समय, स्थान एवं कार्यावली (एजेंडा) का उल्लेख स्पष्ट रूप से रहेगा।
- (26) **वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना :-** प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर समिति द्वारा निबंधक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित विषयवस्तु सन्निहित रहेंगे :-
- (i) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट।
 - (ii) लेखाओं का अंकेक्षित विवरण।
 - (iii) सामान्य निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष निपटाव हेतु योजना।
 - (iv) सहकारी समिति की उप विधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो।
 - (v) सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख तथा निर्वाचन का संचालन जब देय हो, से संबंधित जानकारी।
 - (vi) निबंधक द्वारा संसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक, कोई अन्य सूचना।

(27) प्रबंध समिति का आकार और गठन :-

- (i) समिति की प्रबन्ध समिति सुचारु प्रबन्धन के लिए उत्तदायी होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक सहित एवं अन्य निदेशकों को मिलाकर कुल 15 (पन्द्रह) सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 14 (चौदह) पदधारियों का चुनाव विशेष आमसभा के माध्यम से होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय बहुल जनसंख्या वाले पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित होगा।

समिति द्वारा नियुक्त प्रबंधक प्रबंध समिति का पदेन सदस्य सचिव होंगे, परन्तु उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- (ii) प्रबंध समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, उस 50 प्रतिशत आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 02 (दो) स्थान वेसी समितियों में आरक्षित होंगे, जिन समितियों में उक्त वर्ग/कोटि के सदस्य होंगे।
- (iii) प्रबंध समिति के निर्वाचित पदधारियों एवं सदस्यों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्षों की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि प्रबंध समिति के पदावधि का सह-अंतक (Conterminous) होगा।

प्रबंध समिति में किसी कारणवश रिक्ति को प्रबंध समिति द्वारा उन्हीं वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जायेगा, जिनसे संबंधित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो। यदि प्रबंध समिति की मूल पदावधि से आधे से कम पदावधि बाकी हो।

परन्तु प्रबंध समिति में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक पदावधि बाकी हो और प्रबंध समिति में किसी कारणवश निर्वाचित पदधारियों एवं निदेशकों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि तक के लिए विशेष आमसभा के द्वारा उप निर्वाचन के माध्यम से रिक्ति को भरा जायेगा।

- (28) यदि प्रबंध समिति का निर्वाचित सदस्य समिति की सदस्यता से हट जाय, समिति से लिये गये ऋण के किस्त खिलाफी हो जाय अथवा प्रबंध समिति की लगातार तीन बैठकों में सक्षम प्राधिकार को बिना सूचना दिये उपस्थित न हो, तो प्रबंध समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(29) कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि :-

- (i) वह समिति का सदस्य न हो, अथवा
- (ii) वह नामकन दाखिल करने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में किसी भी हालत में तीन माह से अधिक अवधि के लिये समिति का व्यतिक्रमी (Defaulter) हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में समिति का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य निबंधित समिति का व्यतिक्रमी हो, अथवा
- (iii) उसे समिति में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर समिति के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या समिति द्वारा बेची या खरीदी

गयी किसी संपत्ती में अथवा समिति के किसी संव्यवहार (Transaction) में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

- (iv) उसके विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्यवाही लंबित हो, अथवा
 - (v) उसके विरुद्ध किसी संव्यवहार (Transaction) से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा
 - (vi) उसके विरुद्ध किसी निबंधित समिति के संव्यवहार (Transaction) से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो।
- (30) प्रबंध समिति के निर्वाचित पदधारी एवं सदस्य प्रबंध सोसायटीके पदधारी एवं सदस्य नहीं रह सकेंगे, यदि :-
- (i) वे समिति के सदस्य नहीं रह गये हों, अथवा
 - (ii) उनमें उपविधि की कंडिका - 8 एवं 27 में उल्लेख की गई अयोग्यता में से कोई भी अयोग्यता आ जाये।
- (31) प्रबंध समिति के अधिकार, दायित्व एवं कर्त्तव्य :- समिति का संपूर्ण प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण प्रबंध समिति में निहित होगा, प्रबंध समिति को अधिनियम यथासंशोधित अद्यतन, नियम यथासंशोधित अद्यतन के अन्तर्गत समिति के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा उसके हितों को प्राप्त करने एवं आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रकार की व्यवस्था एवं कार्यवाही करने का अधिकार होगा, तदनुसार -
- (i) प्रत्येक सदस्य की हैसियत का विवरण तैयार करवाना और समय-समय पर सत्यापित करना।
 - (ii) सदस्यों को दिये जाने वाले ऋण की सीमा का मापदण्ड निश्चित करना।
 - (iii) विभिन्न फसलों के खेतों का क्षेत्रफल निर्धारित करना और उसके आधार पर सदस्यों को ऋण देने की सीमा निर्धारित करना।
 - (iv) सोसाईटी द्वारा बेचे जानेवाले सदस्यों की पैदावार की सफाई, वर्गीकरण, खरीद, पैकेजिंग और यातायात का प्रबंध करना।
 - (v) प्रबंधक द्वारा रखे जाने वाले कैश बैलेन्स की सीमा को निर्धारित करना।
 - (vi) इन उप विधियों के अनुसार सदस्यों का पैदावार पर एडवान्स देना।
 - (vii) औजारों और मशीनों के खरीदने या भाड़े पर लेने का प्रबंध करना और उर्वरक, बीज तथा अन्य इनपुट चीजों की आपूर्ति करना।
 - (viii) पैदावार की अधिप्राप्ति करने का प्रबंध करना और व्यापारिक सूचनाओं का प्रसार करना।
 - (ix) सदस्यों द्वारा बिक्री किये जाने वाले पैदावार को क्रय करना तथा इसके लिए कमीशन की दर निर्धारित करना।
 - (x) सदस्यों से प्राप्त ऋण आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करना एवं ऋण को ससमय चुकता करने की कार्रवाई करना।

- (xi) प्रबंध समिति की पूर्व बैठक की कार्यवाही का सम्पुष्टि करना।
- (xii) सदस्य भर्ती करना व त्यागपत्र स्वीकार करना, अंशो के आवंटन, ऋण पत्रों के निर्गमन तथा इनके हस्तान्तरण संबंधी विषयों पर विचार कर निर्णय लेना।
- (xiii) अमानत स्वीकार करने, ऋण प्राप्त करने और ऋण पत्र निर्गमित करने की सीमा का निर्धारण करना। कार्यशील पूँजी के लिए अल्पावधि ऋण अग्रिम प्राप्त करने को छोड़कर उपरोक्तानुसार अन्य प्रकार की प्राप्तियों के लिए शर्तों आदि का निर्धारण करना।
- (xiv) निधि की सीमा के अन्तर्गत समिति की आवश्यकतानुरूप जमीन प्राप्त/क्रय करना, भवन बनाना या भवन क्रय करना अथवा लीज पर लेना अथवा अन्य तरह से प्राप्त करना।
- (xv) समिति के लिए प्रशासनिक एवं सांगठनिक ढांचे, कर्मचारियों की श्रेणियाँ, वेतनमान निर्धारित करना व उनके सेवा नियमावली बनाना।
- (xvi) अपने कर्मचारियों के हित के लिए भविष्य निधि स्थापित करना और कल्याण कार्यों के लिए ट्रस्ट एवं निधि आदि स्थापित करना और/अथवा उसमें सहयोग देना।
- (xvii) समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी किसी भी पेटेंट खोज या अनुसंधान का पेटेंट राईट, ट्रेड राईट्स, कॉपी राईट, गोपनीय प्रतिक्रियाओं की कॉपी राईट या तकनीकी मदद सहयोग प्राप्त करने, क्रय करने अथवा लाइसेंस आदि के माध्यम से या अन्य रीति से प्राप्त करने हेतु आवेदन करना।
- (xviii) समिति या उसके अधिकारी या समिति के किसी भी कार्य से संबंधित पक्ष में या विपक्ष में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही को चालू करना, उसका बचाव करना, आपसी समझौता करना और किसी भी भुगतान या किसी प्रकार के कर्ज को समझौता द्वारा चुकाने का समय देना, उसे समिति के पक्ष या विपक्ष में प्राप्तियों का पंचाट या किसी तरह से निराकरण करना।
- (xix) समिति के वित्तीय पत्रक तैयार करना, अंकेक्षक से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उसके पालन प्रतिवेदन को वार्षिक आम सभा के समक्ष अनुमोदित करने के लिए रखना।
- (xx) वार्षिक कार्य विवरण एवं कार्ययोजना को वार्षिक आम सभा में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
- (xxi) लाभांश के वितरण एवं विनियोग पर निर्णय लेना और स्वीकृति हेतु आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (xxii) प्रबंध समिति विशेष अवस्थाओं में आम तौर पर जमानतदारों के विचार से किस्त देने की अवधि को बढ़ा सकती है।
- (xxiii) लेखों का विवरण तथा संपरीक्षा रिपोर्ट निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (xxiv) समिति के व्यवसाय के लिए संयंत्र, मशीनरी और अन्य सम्पत्ति को क्रय करने, लगान या किराये पर लेने का अनुमोदन करना।

- (xxv) समिति के व्यवसाय हेतु उपयुक्त किसी भी भूमि और अन्य अचल सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय करना।
- (xxvi) सदस्यों द्वारा प्रदान की गयी वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति निर्धारण करना।
- (xxvii) अगले वर्ष का कार्यक्रम व बजट बनाना और वार्षिक आम सभा में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना।
- (xxviii) विभिन्न कार्यों, समिति के संचालन, कार्य प्रगति संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करना और उन पर विचार करना व नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार नियम बनाना व निर्देश देना।
- (xxix) समिति को जिस वर्ष में परिचालन घाटा होता हो, तो उनके कारणों को वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (xxx) आगामी प्रबंध समितिके निर्वाचन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करना।
- (xxxii) समिति के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट आम सभा में प्रस्तुत करना।
- (xxxiii) कैश इन हैंड, कैश इन ट्रान्जिट एवं कैश इन लॉकर का बीमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
- (xxxiii) प्रबंध समिति सदस्यों की खेती की पैदावार तथा अन्य तैयार माल की पूर्ण खरीद पद्धति (प्लेजिंग सिस्टम) तथा अन्य तरीकों से बेचने का प्रबंध कर सकती है।
- (xxxiv) प्रबंध समिति सदस्य कृषकों के उत्पादन तथा तैयार माल को निम्नलिखित तरीके से बिक्री का प्रबंध कर सकती है :
- (i) आउटराइटर परचेज सिस्टम इसके अन्तर्गत समिति उत्पादों की अधिप्राप्ति कर सकती है, इसकी सफाई, वर्गीकरण, पैकेजिंग, यातायात और विपणन का प्रबंध कर सकती है। इस प्रकार के कारबार में जो भी लाभ या हानि होगी, उसके लिए सदस्य जिम्मेवार नहीं होंगे।
 - (ii) बिक्री और कमीशन :- सदस्यगण अपने उत्पादों को समिति के गोदाम में जमा कर सकेंगी तथा सदस्यों के लिखित आग्रह पर बेच सकती है। उत्पादों का दर घटने-बढ़ने से समिति का कोई संबंध नहीं होगा और समिति सदस्य से कमीशन और अन्य खर्च वसूल कर सकेंगी।
 - (iii) प्लेजिंग सिस्टम :- इसके अन्तर्गत सदस्यगण अपने उत्पाद को समिति के गोदाम में रखेंगे और उसकी जमानत पर उन्हें कीमत का 75 प्रतिशत या उस सीमा तक जैसा निबंधक निर्धारित करेंगे, अग्रिम मिल सकेगा।

जिस उत्पाद का जमानत किया गया है, उसकी अदायगी सदस्यों को साधारणतः छः महिने के अंदर करनी होगी तथा किसी विशेष हालात में समिति अदायगी के लिए सदस्य को अधिक समय दे सकेगी।

यदि किसी उत्पाद की कीमत जिसे सदस्य ने बंधक रखा है, दस प्रतिशत या उससे अधिक घट जाए, जो समिति सदस्यों को कर्ज की राशि में से कुछ राशि वापस करने या अधिक जमानत देने के लिए बाध्य कर सकती है।

- (xxxv) यदि सदस्य उक्त दोनों में से कोई भी विकल्प पर सहमत न हो, तो समिति को अधिकार होगा कि सदस्य को सूचना देकर रखी गयी उत्पाद की बिक्री कर दें, ऐसी अवस्था में जो कीमत वसूल होगी, उसमें समिति का कमीशन, गोदाम भाड़ा तथा कर्ज का रूपया सूद के साथ कटौती करते हुए शेष रकम सदस्य को भुगतान कर दिया जायेगा।
- (xxxvi) किसी अधिकारी या कर्मचारी पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व नियत करना कि वह ऐसे अभिलेख, लेखा पुस्तक बनाये, जिसे निबंधक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर विवरणियाँ प्रस्तुत की जा सकें, जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-
- क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट
 - विशेष उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट
 - लेखाओं के संपरीक्षित विवरण
 - समिति के आम निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अतिशेष व्ययन के लिए योजना
 - आमसभा आयोजित करने, सम्मेलन आयोजित करने की तारीख के संबंध में घोषणा कराना, जब अपेक्षित हो जाये।
 - अधिनियम के उपबंधों में निबंधक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
- (xxxvii) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य सभी प्रकार के कार्य करना।
- (32) **प्रबंध समिति की बैठक :-** जब कभी भी आवश्यकता होगी, प्रबंध समिति की बैठक बुलायी जा सकेगी, परन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। आठ सदस्यों का कोरम होगा। प्रबंध समिति की बैठक प्रबंधक द्वारा बुलायी जायेगी और यदि प्रबंधक के द्वारा बैठक नहीं बुलायी जाती है तो, अध्यक्ष को प्रबंध समिति की बैठक बुलाने का अधिकार होगा।
- (33) **अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-**
- समिति के सभी कार्यों पर अध्यक्ष का साधारण नियंत्रण होगा। समिति के प्रशासन की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर होगी।
 - उपस्थित रहने पर अध्यक्ष द्वारा सभी प्रकार की सभाओं का अध्यक्षता किया जायेगा तथा उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गये कोई अन्य सदस्य द्वारा सभाओं की अध्यक्षता की जायेगी और वे सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सभा का कार्यवाही को ठीक ठीक से लिखा जाय।
 - प्रबंधक के साथ अध्यक्ष हिस्से के प्रमाण पत्रों (शेयर सर्टीफिकेट) पर हस्ताक्षर करेंगे।
 - प्रबंध समिति के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगे। दोनों पक्षों में बराबर मत होने की अवस्था में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- (34) **प्रबंधक की नियुक्ति :-** दैनिक कारोबार के लिए समिति में एक पूर्णकालिक प्रबंधक होगा, जिसकी नियुक्ति समिति द्वारा स्थापित मापदण्ड के आलोक में की जायगी।

(35) **प्रबंधक का कार्य, दायित्व एवं शक्तियाँ** :- प्रबंध समिति के सामान्य निदेशन एवं पर्यवेक्षण तथा अध्यक्ष के नियंत्रण के अन्तर्गत प्रबंधक के निम्नलिखित कार्य, दायित्व एवं शक्तियाँ होंगे:-

- i) समिति के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- ii) प्रबंध समिति एवं आम सभा की बैठकों को बुलाना और ऐसी बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।
- iii) समिति के सभी कागजातों एवं नकद को अपनी अभिरक्षा में रखना।
- iv) बैंकों में समिति के खाताओं का संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन करना।
- v) समिति के पक्ष में सभी बन्धपत्रों तथा अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करना।
- vi) समिति के पक्ष में मुकदमा दायर करना अथवा समिति के विरुद्ध दायर किसी मुकदमें के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना या अन्य न्यायायिक कार्रवाई करना।
- vii) अधिनियम, नियमावली, उपविधि, निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तों तथा मापदंडों के अनुसार वांछित प्रतिवेदन तैयार करना, ऋण वितरण करना, साथ ही साख सीमा निर्धारण तथा उससे संबंधित अन्य आवश्यक औपचारिकता पूरा करना।
- viii) समिति के ऋण वितरण एवं उसके विकास पक्ष से संबंधित कार्यों तथा ऋण आपूर्ति करने वाले बैंक से संबंधित विहित कार्यों को करना।
- ix) समिति के कार्यों से संबंधित सभी रसीद, बैलेन्स शीट या अन्य आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करना और सभी भाउचर पारित करना।
- x) विभिन्न प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ निबंधक तथा बैंक को यथासमय समर्पित करना।
- xi) समिति की ओर से सभी प्रकार का पत्राचार करना तथा सदस्य को सभी आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित/ अवगत कराना।
- xii) प्रबंध समिति के विचारार्थ मासिक आय-व्यय का ब्यौरा, अंकेक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण प्रतिवेदन इत्यादि ससमय प्रस्तुत करना और उसके अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
- xiii) समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निदेशों तथा प्रबंध समिति के नियंत्रण एवं निदेशानुसार बैंक में खाता खोलने से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना, खरीद-बिक्री करना, बंधक रखना तथा समिति की जायदाद अथवा ऐसी जायदाद जिसमें समिति का हित निहित हो, हक कायम करना एवं समिति के कार्यकलापों से संबंधित अन्य व्यावसायिक कागजातों पर हस्ताक्षर करना।
- xiv) प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार निर्धारित सीमा में आकस्मिक व्यय करना।
- xv) सदस्यता एवं समिति के जमा वृद्धि हेतु क्षेत्र का भ्रमण करना तथा आवश्यक कदम उठाना तथा सदस्यों को समय पर कृषि कार्य, अन्य कृषि विकास कार्यों एवं अन्य प्रयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

- xvi) कृषक सदस्यों के क्षेत्र में समय-समय पर भ्रमण एवं निरीक्षण करना, कर्ज वसूली तथा कर्ज वसूली हेतु बकायेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना। सदस्य द्वारा लिये गये ऋण को उचित तरीके से उपयोग नहीं करने पर अविलम्ब प्रबंध समिति को सूचित करना।
- (36) **रोकड़ का रखना** :- निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश अथवा प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित राशि (Cash in Hand) समिति के प्रबंधक द्वारा समिति के लॉकर में रखा जा सकेगा तथा इससे अधिक राशि को अविलम्ब संबंधित बैंक में जमा कर देना अनिवार्य होगा।
- (37) **रोकड़ की सीमा** :- समिति के कैश इन हैंड एवं कैश इन ट्रान्जिट की सीमा की रकम प्रबंध समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारित करेगी। इसके लिए निबंधक समय समय पर निदेश दे सकेंगे।
- (38) **जमा एवं ऋण** :- निबंधक या झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक/अधिसूचित बैंक के द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार आम सभा द्वारा निश्चित की गई सूद की दर पर समिति बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता एवं सावधि खाता में जमा ले सकेगी।
- (39) **बही खाता एवं लेखा** :- समिति द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर (बहियों एवं लेखा बहियों) का संधारण किया जायेगा –
- a) **वित्तीय विवरणियों से संबंधित रजिस्टर**
- (i) कैश-बुक
 - (ii) दैनिक रजिस्टर
 - (iii) बैंक रजिस्टर
 - (iv) शेयर पूँजी रजिस्टर
 - (v) जमाराशि रजिस्टर – बचत, चालू, सावधि, आवर्ती एवं पुर्ननिवेश जमा
 - (vi) उधार रजिस्टर – अल्पकालिक एवं मध्यकालिक
 - (vii) ऋण रजिस्टर– अल्पकालिक एवं मध्यकालिक (कृषि एवं गैर कृषि)
 - (viii) विविध ऋण रजिस्टर
 - (ix) क्रय रजिस्टर
 - (x) विक्रय रजिस्टर
 - (xi) स्टॉक रजिस्टर
 - (xii) मूल्य ह्रास रजिस्टर
 - (xiii) फर्नीचर, फिक्सचर एवं कार्यालय उपकरण रजिस्टर
 - (xiv) भूमि और भवन रजिस्टर
 - (xv) स्वर्ण ऋण रजिस्टर
 - (xvi) विविध देनदार रजिस्टर

- (xvii) सस्पेंस रजिस्टर
- (xviii) अमानत रजिस्टर
- (xix) लाभांश रजिस्टर
- (xx) वेतन रजिस्टर
- (xxi) खाता खोलने एवं बंद करने से संबंधित रजिस्टर
- (xxii) मासिक ब्याज भुगतान रजिस्टर
- (xxiii) गिरवी रखे गये स्टॉक रजिस्टर
- (xxiv) अतिदेय (NPA) रजिस्टर
- (xxv) निष्क्रिय जमा खाता रजिस्टर

b) गैर वित्तीय विवरणियों से संबंधित रजिस्टर

- (i) सदस्यता रजिस्टर
 - (ii) निर्वाचन हेतु प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक बने सदस्यों का रजिस्टर
 - (iii) प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवृत्त रजिस्टर
 - (iv) आमसभा की बैठक की कार्यवृत्त रजिस्टर
 - (v) विशेष आमसभा-सह-निर्वाचन संबंधी रजिस्टर
 - (vi) बीमा पॉलिसी एवं नवीनीकरण रजिस्टर
 - (vii) दायरवाद रजिस्टर
 - (viii) सदस्यों का भूमि अभिलेख रजिस्टर
 - (ix) कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी
 - (x) अंकेक्षण प्रतिवेदन, जांच प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन से संबंधित रजिस्टर
- (40) उन सभी कागजातों पर जिनमें समिति पर लगाये गये चार्जों और प्रतिबन्धों का वर्णन रहेगा, अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रबंध समिति के तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा।
- (41) **समिति की मुहर :-** समिति के पास एक आम मुहर होगी जो प्रबंधक की देख-रेख में रहेगी।
- (42) **समिति का लाभांश, बोनस आदि :-** अंकेक्षक के द्वारा प्रमाणित प्रतिवर्ष 31 मार्च को समिति का शुद्ध लाभ में से कम से कम 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) में तथा भारतीय जिरर्व बैंक द्वारा परिमाण में अशोध्य ऋण कोष (Bad debts fund) में देने के बाद जो शेष बचेगा, उसे निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किया जाएगा:
- (i) लाभांश जो 6 प्रतिशत से अधिक न होगा, हिस्सों के चुकाये गये मूल्य पर किया जाएगा।
 - (ii) कर्मचारियों को बोनस, जो एक महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा।
 - (iii) सदस्यों द्वारा समिति से लिये गये कर्ज पर सूद से समिति द्वारा खरीदे गये माल की कीमत में तथा समिति द्वारा बेचे गये माल की कीमत पर दी जाने वाली प्रीमियम में छूट अथवा लाभांश, जो घोषित की जायेगी, तब तक सदस्य को नहीं मिल सकेगी, जब तक कि उनके

जिम्मे पहले का कुछ पावना बाकी हो। यह रकम उसके बकाया में कटौती (Deduct) की जायेगी।

- (iv) उप विधियों के अनुसार समिति के कर्मचारियों को पारिश्रमिक दी जायेगी।
- (v) रिस्क फण्ड (Risk fund) एवं प्राइस फलक्च्यूएशन फण्ड (Price fluctuation fund) में।
- (vi) शेष राशि का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत साधारण भलाई कोष में।
- (vii) उपरोक्त के उपरान्त यदि शेष बचेगा तो वह अगले वर्ष के लिए रख दिया जायेगा। हिस्सों पर लाभांश या रिबेट यदि एक वर्ष के भीतर समिति से नहीं ले लिया जाता है, तो वैसी राशि संबंधित सदस्य के खाते में जमा करा दिया जायेगा।

(43) **रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) :-**

1) **रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) निम्नलिखित को मिलाकर बनेगी)**

- a) एक्ट के अधीन प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का 35 प्रतिशत रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) में जायेगा।
- b) लाभ से या किसी प्रकार से इस फण्ड में जानेवाली रकम से।
- c) समिति का निबंधन की तिथि से तीन वर्षों के अंदर तक प्रारंभिक खर्चों को काट कर सभी प्रवेश-शुल्क से।
- d) समिति के द्वारा जब्त किये गये हिस्सों के मूल्य से।

2) रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) समिति का होगा और इसका सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जायेगा।

3) रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) निम्नलिखित किसी भी कार्य हेतु उपलब्ध हो सकेगा:-

- a) किसी भी परोक्ष घटना के कारण जो कमी होगी, उसे पूरा करने में और इससे जो कमी होगी, वह यथाशीघ्र पूर्ति करने हेतु।
- b) समिति के किसी ऐसे कार्य के लिए जिसकी पूर्ति अन्य तरह से नहीं हो सकती है।
- c) समिति के किसी ऋण हेतु जमानत के काम में।
- d) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निदेशित।

4) समिति के विद्यटित हो जाने की अवस्था में रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) उन कार्यों में लगाया जायेगा, जैसा उसी उद्देश्य से बुलाई गई सभा के बहुमत से निर्धारित होकर निबंधक, सहयोग समितियाँ के द्वारा स्वीकृत होगा।

(44) **रक्षित कोष (रिजर्व फण्ड) :-** झारखण्ड सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1935 यथा अद्यतन संशोधित के अनुसार या तो किसी काम में लगाया जायेगा या जमा किया जायेगा, बशर्ते कि निबंधक, सहयोग समितियाँ, या भारतीय रिजर्व बैंक विशेष आदेश से समिति के रक्षित कोष के एक विशेष अंश को समिति के कार्यों में लगाने हेतु आदेश दे।

(45) **उप विधियों में संशोधन :-** उपविधि की कोई भी कंडिका/उपबंध तब तक संशोधित नहीं की जा सकेगी, जब तक कि:

- (i) सदस्यों को उक्त प्रकार के प्रस्ताव की सूचना आम सभा आहुत करने की तिथि से 15 दिनों पूर्व नहीं दे दी जाती है। सूचना में बैठक की तिथि, समय, स्थल एवं कार्यावली का उल्लेख होगा।
- (ii) आमसभा में उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई बहुमत से पारित की गयी हो।
- (iii) उप विधियों में संशोधन के लिए विहित-प्रपत्र (VI) में आवेदन पत्र निबंधक, सहयोग समितियों के समक्ष उस सामान्य बैठक की तिथि से, जिसमें संशोधन विषयक प्रस्ताव अंगीकृत हुआ हो, के तीन माह के अंदर समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा
- (iv) निबंधक, सहयोग समितियों द्वारा उक्त प्रस्तावित संशोधन के प्रस्ताव को निबंधित कर दिया गया हो, तदुपरान्त ही प्रस्तावित संशोधन प्रवृत्त होगा।

परन्तु यह कि समिति के नाम के साथ बैंक शब्द का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

- (46) **विवाद :-** कोई भी विवाद जिसका निपटारा प्रबंध समिति या आमसभा के द्वारा नहीं हो सके, उसे निबंधक, सहयोग समितियों के समक्ष निपटारे हेतु लाया जायेगा।
- (47) **परिसमापन :-** अधिनियम की धारा- 42, 43 एवं 44 में वर्णित प्रावधान के अनुसार समिति परिसमापित की जा सकेगी।
- (48) समिति की उप विधियों की किसी उपबंध के संबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद या संदेह उत्पन्न होता है, तो प्रबंध समिति उस तथ्य को निबंधक, सहयोग समितियों के समक्ष रखेगी, जिस पर निबंधक, सहयोग समितियों का निर्णय अंतिम होगा।
- (49) सामान्य उद्देश्य वाली शीर्ष सहकारी समितियों की संबद्धता समिति प्राप्त करेंगी। झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि०/केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति जो भी हो, की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेना होगा।
- (50) इस उपविधि में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, उसका निपटारा झारखण्ड सहकारी समितियों अधिनियम, 1935 यथा अद्यतन संशोधित तथा झारखण्ड सहकारी समितियों नियमावली 1959 यथा अद्यतन संशोधित अथवा निबंधक, सहयोग समितियों के आदेशानुसार किया जायेगा।